

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
11/08/2023

रजिस्टर्ड नम्बर
2023/274

प्रवेश तिथि
05-04-2023

निर्णय दिनांक
12-07-2023

01- दर्शन सिंह पुत्र लाल सिंह पौत्र गण्डासिंह जाति रायसिंख निवारी ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

- अपीलान्ट

बनाम

01- नगर विकास न्यास अलवर जयें सचिव/अध्यक्ष नगर विकास न्यास अलवर (राजस्थान)
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक
31.10.2012 नामान्तकरण संख्या 84 वाके ग्राम
सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर।

01-श्री चौधरी रहमत खॉ
02-श्री अशोक शर्मा
02-श्री दीपक मीना

-वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1
-राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 2

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 बाबत नामान्तकरण संख्या 84 वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि साबिक आराजी खसरा न0 71 मिन रकबा 23 बीधा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा न0 107 रकबा 5 है0 82 ऐंयर में से 1 है0 एवं खसरा न0 107 का वर्तमान आराजी खसरा न0 278/107 रकबा 3.32 है0 में से 1.00 है0 व साबिक आराजी खसरा न0 78 रकबा 16 बीधा 9 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा न0 123 रकबा 4 है0 16 ऐंयर में से 1 है0 75 ऐंयर वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर पर मिन अपीलान्ट का अरसे दराज से कब्जा चला आ रहा है, तथा 50 साल पूर्व से ही अपीलान्ट के पिता विवादित आराजी को काश्त करता था, और उन्होने काफी जिस्मानी मेहनत करके उक्त विवादित आराजी को काबिल काश्त बनाया। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात मिन अपीलान्ट अपने पिता के जीवनकाल से संयुक्त विवादित आराजी पर काबिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रहकर काशत करती चली आ रही है। और आज गी गिन अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काशत है। मिन अपीलान्ट का पिता विवादित आराजी का राजस्थान विरवेदारी उन्मूलन अधिनियम व राजस्थान काशतकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से विवादित आराजी पर काविज रहकर काशत करते चले आ रहे थे, विवादित आराजी की वावत गिन अपीलान्ट व उसके पिता को राज्य सरकार द्वारा आदिनाक तक किसी प्रकार से विधिक रूप से वेदखल नहीं किया गया है, और न ही इस हेतु कोई विधिक कार्यवाही की गयी है। विवादित आराजी से अपीलान्ट को वेदखल करने हेतु राजस्व कर्मचारी मौके पर आये और जवरन वेदखल करने की कोशिश की गयी जिस पर मिन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहाँ एक राजस्व वाद बउनवान दर्शनसिंह वनाम राजस्थान सरकार वगै० प्रकरण संख्या 1/236 दायर किया गया जो दिनाक 29.03.2011 को स्वीकार कर मिन अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित कर डिक्री किया गया है। प्रकरण में पारित निर्णयानुसार विवादित आराजीयात का मिन अपीलान्ट को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया गया है, कि राजस्व रिकार्ड में ताहाल तक अपीलान्ट/वादी का नाम इन्द्राज बहैसियत खातेदार के दर्ज किया जावे। इस तथ्य की अधिनस्थ न्यायालय को बखूबी जानकारी थी, परन्तु उसके बावजूद भी पारित निर्णय व डिक्री की पालना नहीं की गयी। और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश की खुलम-खुल्ला अवहेलना करते हुये रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन नामान्तकरण दिनाक 30.10.2012 को दर्ज कर स्वीकार किया गया है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आलन-फालन में एक ही दिन दिनाक 31.10.2012 को दर्ज किया, एवं उसी दिन जाँच की गयी और उसी दिन नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जिससे स्पष्ट है, कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही नहीं की गयी है। निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही मौके/राजस्व रिकार्ड की कोई जाँच नहीं की गयी। अपीलाधीन नामान्तकरण तहत अदालत द्वारा दिनाक 31.10.2012 को मिन अपीलान्ट के पीछे से बाला-बाला मिन अपीलान्ट को सुने बगैर पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 03.03.2023 को हुयी जब मिन अपीलान्ट विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात से सम्बंधित राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के लिये पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि उक्त आराजी का नामान्तकरण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होकर स्वीकार किया जा चुका है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त हुयी। उसके पश्चात कानूनी सलाह मशवरा कर आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी के अपील की गयी। अपील किये जाने से पूर्व जो समय व्यतित हुआ है, वो उपरोक्त कारणों से जानकारी के अभाव में हुआ है। दिनाक 31.10.2012 से जानकारी की दिनाक 03.03.2023 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन के तहत माफ किये जाने योग्य है, जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पृथक से पेश कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर, अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 31.10.2012 नामान्तकरण संख्या 84 वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर (राज०) निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.10(23) न.वि.वि./3/10 दिनाक 13.10.2011 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) जयपुर को अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील अलवर के 76 राजस्व ग्रामो एवं तहसील रामगढ के 10 राजस्व ग्रामो को शामिल किया गया और उनका सिविल सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया।



अतिरिक्त-सि. कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

इस अधिसूचना के बाद सिवायचक भूमि धारा 43 नगर विकास न्यास अधिनियम एवं धारा 102 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के अधीन न्यास में निहित हो चुके हैं, उपरोक्त अधिसूचना के तहत इन्तकाल आराजी के संबंध में जिला कलक्टर अलवर द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/12/9902-13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा अलवर जिले के विभिन्न उपखण्डों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये जनोपयोगी प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालयों एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिये भूमि चिन्हीकरण कर उसके प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश जारी किये थे तथा तहसीलदार थानागाजी/राजगढ़/लक्ष्मणगढ़/कटूमर/किशनगढ़बास/रामगढ़/बानसूर/अलवर/बहरोड़/मुण्डावर/कोटकारिग/तिजारा को निर्देशित किया गया था, कि प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हीत आरक्षित भूमि को छोड़कर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) स्थानीय निकायों में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की भूमि को दिनांक 31.10.2012 को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करते हुये दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तरण जेर अपील मिन अप्रार्थी न्यास के पक्ष में विधिवत दर्ज कर स्वीकार किया गया है। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना एवं जिला कलक्टर अलवर के उक्त आदेश को प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अपीलान्त के द्वारा अपील इस आधार पर पेश की गयी है, कि विवादित आराजी के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा राजस्व वाद दर्शनसिंह बनाम राजस्थान सरकार वाद संख्या 1/236 दिनांक 29.03.2011 को स्वीकार कर उसके पक्ष में वाद डिक्री किया गया है, तथा उसे विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, किन्तु डिक्री की पालना नहीं की गयी है, इस लिये नामान्तरण जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। वैसे भी सिवायचक भूमि पर कोई वैध रूप से शांति पूर्ण या निरन्तर कब्जा नहीं होता है, न ही माना जा सकता है। लिहाजा सिवायचक भूमि की खातेदारी की घोषणा किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलान्त के पक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा दिनांक 29.03.2011 को डिक्री पारित कर दी गयी और उसकी पालना राजस्व रिकार्ड में नहीं हो रही थी, तो अपीलान्त को डिक्री की इजराय न्यायालय में पेश कर आदेश प्राप्त कर डिक्री की पालना करयी जानी चाहिये थी। किन्तु अपीलान्त कथित डिक्री को 12 वर्ष से अधिक समय तक लेकर बैठा रहा और उदासीन लापरवाह बना रहा। जबकि किसी भी न्यायालय की डिक्री की पालना कराने के लिये मियाद अधिनियम के तहत 12 वर्ष की कानूनी मियाद होती है, किन्तु अपीलान्त ने निर्धारित मियाद के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में कथित डिक्री स्वतः ही शून्य व निष्फल हो चुके हैं, तथा उससे अपीलान्त को विवादित आराजी में कोई हक हकूक हासिल नहीं हो सकते हैं, तथा अपीलान्त ऐसी शून्य व निष्फल हो चुके डिक्री के आधार पर मिन रेस्पोजेन्ट नगर विकास न्यास अलवर के पक्ष में स्वीकृत हुये नामान्तरण को किसी तरह से चुनौती नहीं देने का अर्थात् नामान्तरण को निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये जाहिर किया है कि तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा नामान्तरण संख्या 84 में वर्णित आराजीयात का राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर की अधिसूचना की पालना में विधिवत रूप से विधिवत कार्यवाही कर सचिव नगर विकास न्यास अलवर के नाम नामान्तरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्तान/रेस्पोजेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्त ने अपीलान्त आदेश नामान्तरण संख्या 84 निर्णय दिनांक 31.10.2012 वाके ग्राम सांखला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)


तहसील रामगढ जिला अलवर के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 05.04.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 11 वर्ष, पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है, अपीलान्त ने अपील विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्ठन कराने हेतु दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्त द्वारा प्रार्थना-पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्त को दिनांक 03.03.2023 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्तान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन किया है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित साबिक आराजी खसरा आराजी खसरा न0 71 मिन रकबा 23 बीघा 10 विस्वा जिसके हाल आराजी खसरा न0 107 रकबा 5 है0 82 ऐंयर में से 1 है0 एवं खसरा न0 107 का वर्तमान आराजी खसरा न0 278/107 रकबा 3.32 है0 में से 1.00 है0 व साबिक आराजी खसरा न0 78 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा न0 123 रकबा 4 है0 16 ऐंयर में से 1 है0 75 ऐंयर वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर पर मिन अपीलान्त का अरसे दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा 50 साल पूर्व से ही अपीलान्त के पति विवादित आराजी को काश्त करता था, और उन्होंने काफी जिस्मानी मेहनत करके उक्त विवादित आराजी को काबिल काश्त बनाया। अपीलान्त के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात मिन अपीलान्त अपने पिता के जीवनकाल से संयुक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और आज भी मिन अपीलान्त का मौके पर कब्जा काश्त है। मिन अपीलान्त का पिता विवादित आराजी का राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे, विवादित आराजी की बाबत मिन अपीलान्त व उसके पिता को राज्य सरकार द्वारा आदिनाक तक किसी प्रकार से विधिक रूप से बेदखल नहीं किया गया। और न ही इस हेतु कोई विधिक कार्यवाही की गयी है। विवादित आराजी से अपीलान्त को बेदखल करने हेतु राजस्व कर्मचारी मौके पर आये और जबरन बेदखल करने की कोशिश की जिस पर मिन अपीलान्त द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहाँ एक राजस्व वाद बउनवान दर्शन सिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0 प्रकरण संख्या 1/236 दायर किया गया जो दिनांक 29.03.2011 को स्वीकार कर मिन अपीलान्त के पक्ष में निर्णित कर डिक्री किया गया है। प्रकरण में पारित निर्णयानुसार विवादित आराजीयात का मिन अपीलान्त को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया गया है, कि राजस्व रिकार्ड में ताहाल तक अपीलान्त/वादी का नाम इन्द्राज बहैसियत खातेदार के दर्ज किया जावे। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्त को दावे में ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है, तो उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किये जाने के कोई ठोस कारण तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के समक्ष नहीं थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 84 वाके ग्राम सांखला निर्णय दिनांक 31.10.2012 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 नामान्तकरण संख्या 84 वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर अपीलान्त की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ बउनवान दर्शनसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0 प्रकरण संख्या 1/236 में

अतिरिक्त सिविल कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पारित दिनांक 29.03.2011 के अनुसरण में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)